सत्यमेव जयते

आवास और शहरी गरीबी
उपशमन मंत्रालय
भारत सरकार

आश्रय

त्रैमासिक न्यूजलेटर

सबका सपना, घर हो अपना

प्रधानमंत्री आवास योजना–
सबके लिए आवास (शहरी)

"प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास के विजन को पूरा करने के लिए एक कदम"

~ नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

खंड 2, अंक 1, जनवरी–मार्च, 2017, नई दिल्ली

मध्य आय वर्ग के लिए ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम (एमआईजी के लिए सीएलएसएस) का प्रारम्भ

भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 31 दिसम्बर, 2016 को राष्ट्र को अपने संबोधन में भारत में शहरीकरण की अनुमानित वृद्धि और इसके फलस्वरूप आवास की मांगों को देखते हुए समाज के मध्य आय वर्ग (एमआईजी) की आवास संबंधी जरुरतों को पूरा करने के लिए सरकारी ब्याज सब्सिडी स्कीम की घोषणा की।

मंत्रालय ने आवासों के अधिग्रहण/निर्माण (पुनः क्रय सहित) के लिए "एमआईजी के लिए ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस)" के रूप में नामित इस स्कीम के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया है। इसे एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – सबके लिए आवास मिशन के अंतर्गत मौजूदा सीएलएसएस स्कीम को "ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सीएलएसएस" के रूप में नाम दिया गया है।

श्री एम वेंकैया नायडु, केन्द्रीय आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और राव इन्द्रजीत सिंह, आवास और शहरी गरीबी उपशमन राज्य मंत्री ने दिनांक 22.03.2017 को औपचारिक रूप से मध्य आय वर्ग के लिए ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम (एमआईजी के लिए सीएलएसएस) के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देश तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए सीएलएसएस (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सीएलएसएस) हेतु अद्यतन दिशानिर्देश जारी किए।

इस अवसर पर बोलते हुए, श्री नायडु ने कहा कि मध्य आय वर्ग करों का भुगतान करने के अतिरिक्त, देश के आर्थिक विकास में पर्याप्त योगदान देता है, इसलिए वे अपना आवास होने के स्वप्न को पूरा करने के लिए सहायता के लिए पात्र हैं जो एक बुनियादी और वास्तविक आकांक्षा है। उन्होंने आगे कहा कि किफायती आवास को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने से भू–सम्पदा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा तथा इसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजित होंगे । उन्होंने बैंकों और अन्य ऋणदाता संस्थाओं से आग्रह किया है कि वे एमआईजी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएं।

राव इन्द्रजीत सिंह, राज्य मंत्री (हुपा) ने कहा कि सबके लिए आवास मिशन सरकार की सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलों में से एक है जिससे

लाभार्थियों की समीकृत मासिक किस्त को कम करके, वर्ष 2022 तक "सब के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के विजन सहित जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

सीएलएसएस के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र लाभार्थी प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं (पीएलआई) को सीधे आवेदन कर सकते हैं। आवेदनों की सम्यक जांच करने के पश्चात् पीएलआई ऋणों को स्वीकृत करेंगे और इसके पश्चात् केन्द्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) से सब्सिडी का दावा करेंगे।

एमआईजी के लिए सीएलएसएस के बारे में दूसरी कार्यशाला का आयोजन 27 मार्च 2017 को मुम्बई में किया गया जिसमें बैंकों, आवास वित्त निगमों और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने मंत्रालय के साथ समझौता–ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए भाग लिया। 31 मार्च, 2017 को हुडको निवास पर एक अन्य समझौता–ज्ञापन हस्ताक्षर सत्र आयोजित किया गया।

कुल 64 आवास वित्त कम्पनियों, 16 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सात निजी क्षेत्र के बैंकों, 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, 15 सहकारी बैंकों, 5 लघु वित्त बैंकों, तीन गैर–बैंकिंग वित्त कम्पनियों – सूक्ष्म वित्त संस्थाओं ने 31 मार्च, 2017 को पीएमएवाई (शहरी) के एमआईजी के लिए सीएलएसएस घटक के कार्यान्वियन के लिए 2 केन्द्रीय नोडल एजेंसियों अर्थात् राष्ट्रीय आवास बैंक और हुडको के साथ समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

वाइब्रेंट गुजरात में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की सहभागिता

गांधी नगर, गुजरात में दिनांक 10 से 13 जनवरी 2017 तक "वाइब्रेंट गुजरात–वैश्विक शीर्ष सम्मेलन, 2017" आयोजित किया गया जिसका विषय "सतत् आर्थिक और सामाजिक विकास" था। इस समारोह में आगन्तुकों ने हूपा मंत्रालय की सक्रिय सहभागिता देखी जिसने उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के बारे में कुछ पैनलों सहित अपनी स्कीमों अर्थात् पीएमएवाई(यू) और डीएवाई – एनयूएलएम को दर्शाया। लोगों ने स्टाल का दौरा किया और वे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के विभिन्न घटकों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की क्रियाविधि समझने के लिए जिज्ञासु थे।

श्री एम. वेंकैया नायडु, माननीय मंत्री (हूपा) ने 11 जनवरी 2017 को वाइब्रेन्ट गुजरात सम्मेलन में "स्मार्ट और रहने–योग्य शहरों" पर सम्मेलन को संबोधित करते समय कहा कि भारत में शहरी नवचेतना आ रही है क्योंकि देश अप्रत्याशित विकास की ओर अग्रसर है।

श्री नायडु ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की यह मंशा है कि लोगों में एक आचरणात्मक परिवर्तन लाया जाए तथा अन्य बातों के साथ–साथ, मेक इन इण्डिया, डिजिटल इण्डिया और स्वच्छ भारत जैसी विभिन्न नीतियों के माध्यम से एक समावेशी विकास को अपनाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जी एक व्यापक परिवर्तन के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं। श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा आवास ऋणों के लिए ब्याज रियायतों की घोषणाओं तथा बैंकों द्वारा हाल ही में कम की गई ब्याज की दरों से वर्ष 2022 तक प्रत्येक के अपना आवास होने के सपने के पूरा होने की आशा है।

डॉ0 नंदिता चटर्जी, सचिव (हूपा), 11 जनवरी, 2017 को वाइब्रेन्ट गुजरात सम्मेलन में "स्मार्ट और रहने योग्य शहरों" पर सम्मेलन में मुख्य वक्ता थीं। उन्होंने स्मार्ट सिटीज में किफायती आवास के बारे में यह बताते हुए एक प्रस्तुतीकरण किया कि स्मार्ट सिटी ढ़ांचे के भीतर किफायती आवास का कार्यक्रम चलाया जा सकता है क्योंकि "हरित क्षेत्र विकास कार्यनीति" के अंतर्गत विशेष रूप से इसका प्रावधान किया गया है ।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्मार्ट सिटी के दिशानिर्देशों के अनुसार, हरित क्षेत्र विकास में व्यवस्था किए गए समग्र आवास में से, किफायती आवास श्रेणी में कम से कम 15% आवास होने चाहिए। तदनुसार, किफायती आवास परियोजनाएं, जिनको शहरी स्थानीय निकाय अथवा शहरी विकास प्राधिकरण की सीमाओं के भीतर ऐसे हरित क्षेत्र के स्थलों में शुरू किया जा सकता है, समुचित मुख्य अवसंरचना के सृजन हेतु आवश्यक होंगी। अतः पीएमएवाई (यू) में एएचपी घटक इस प्रयोजन के लिए है।

किफायती आवास को दिया गया अवसंरचना स्तर

श्री अरूण जेटली, केन्द्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री ने संसद में आम बजट 2017–18 को प्रस्तुत करते समय कहा कि किफायती आवास को अब अवसंरचना स्तर दिया जाएगा जो इससे संबद्ध लाभों को प्राप्त करने के लिए इन परियोजनाओं को समर्थ बनाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) वर्ष 2017–18 में लगभग 20,000 करोड़ रूपये के व्यक्तिगत आवास ऋण को पुनः वित्तपोषण करेगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री द्वारा आवास ऋण के लिए ब्याज सहायता की भी घोषणा की गई है।

अवसंरचना स्तर से संस्थागत ऋण प्राप्त करना आसान होगा तथा किफायती परियोजनाओं के लिए उधार लेने की विकासकों की लागत को कम करने में सहायता मिलेगी । किफायती परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा, स्पष्ट दिशानिर्देश बनाए जाएंगे जिससे इस क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी ।

पीएमएवाई (यू) की प्रगति

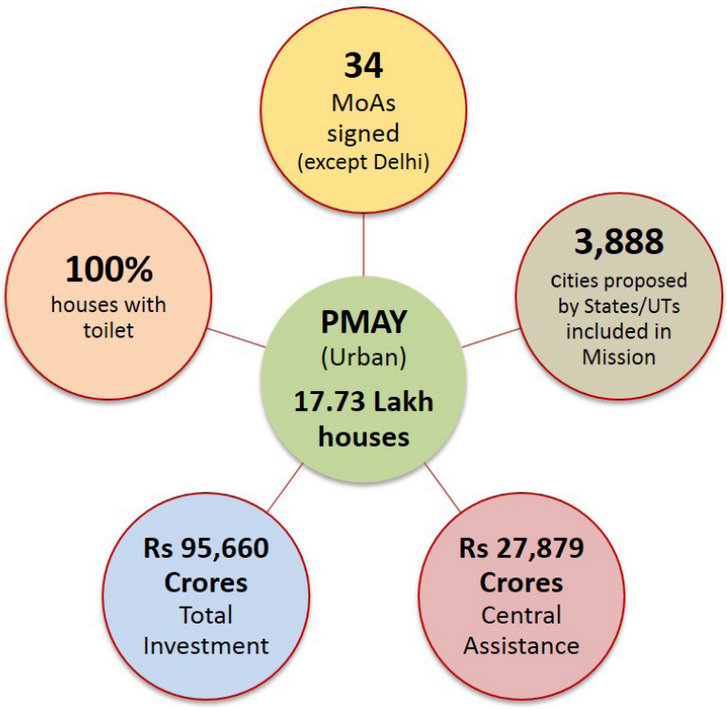

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, पीएमएवाई(यू) के अंतर्गत 27,879 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता और 95,660/– करोड़ रूपये के कुल निवेश से केन्द्रीय सरकार द्वारा 17,73,052 आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इसमें "ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम" (सीएलएसएस) के अंतर्गत 28,442 लाभार्थियों को ऋण सब्सिडी के लिए संवितरित 523.61 करोड़ रूपये शामिल हैं।

मिशन निदेशालय में केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठकें

सचिव, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अध्यक्षता में और अन्य संबंधित विभागों से सदस्यों सहित पीएमएवाई(यू) के लिए केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) एक निर्णय निर्माता निकाय है। सीएसएमसी के मुख्य कार्यों में केन्द्रीय सहायता जारी करने, इस मिशन की समग्र समीक्षा और निगरानी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं को स्वीकार करना शामिल है।

जनवरी–मार्च, 2017 की तिमाही के दौरान, 3 सीएसएमसी बैठकों का आयोजन किया गया जिनमें भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) और लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटकों के अंतर्गत 13 राज्यों से कुल 861 परियोजनाओं को स्वीकार किया गया था जिनमें 2,80,368 आवास शामिल थे। इनमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा तेलगांना राज्य से बीएलसी संवर्धन के अंतर्गत 3,047 आवास शामिल हैं।

उपरोक्त स्वीकार किए गए 2.80 लाख आवासों के लिए 4205.50/– करोड़ रूपये का कुल केन्द्रीय अंश शामिल है।

18 जनवरी, 2017 को आयोजित 18वीं सीएसएमसी बैठक।

पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उप–मिशन

पीएमएवाई (यू) मिशन के अंतर्गत, आधुनिक, अभिनव, सतत्, हरित और आपदा–रोधी प्रौद्योगिकियों तथा आवासों का कम लागत, तीव्र और गुणतापरक निर्माण करने के लिए भवन सामग्रियों को अपनाने के लिए एक प्रौद्योगिकी उप–मिशन (टीएसएम) की स्थापना की गई है । प्रौद्योगिकी उप–मिशन में विभिन्न भू–जलवायु जोनों के लिए उपयुक्त ले–आउट और भवनों के नक्शे बनाने और अपनाने की व्यवस्था भी की गई है। इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे :–

क) वायु और ध्वनि प्रदूषण तथा निर्माण अपशिष्ट में अत्यधिक कटौती ।
ख) जल का इष्टतम उपयोग ।
ग) टिंबर/प्लाईवुड का प्रयोग नहीं ।
घ) अच्छी कारीगरी/आश्वस्त गुणता और टिकाऊ निर्माण ।
ङ) नियंत्रित वातावरण में कार्य करने की वजह से श्रम उत्पादकता में वृद्धि।
च) हर मौसम में स्थल पर कार्य निष्पादन ।
छ) लागत में बचत ।
ज) उत्तम स्थल आयोजन और संसाधनों का उपयोग ।

प्रदर्शन आवास

- भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) ने नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में प्रदर्शन आवास परियोजना और सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है और भुवनेश्वर, बिहार शरीफ, हैदराबाद, लखनऊ में 4 प्रदर्शन परियोजनाएं निर्मित की जा रही हैं
- हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल), नई दिल्ली स्थित प्रौद्योगिकी पार्क का विकास विभिन्न वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों को दर्शाने के लिए किया गया है ।
- रक्षा, रेल, गृह, कोयला मंत्रालयों और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से स्टाफ आवास, विभागीय भवनों का निर्माण नई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से करने का अनुरोध किया गया है ।

अनुसंधान अध्ययन, कार्यशालाएं

- प्रौद्योगिकी उप–मिशन के अंतर्गत आईआईटी, कानपुर, सीबीआरआई, रूड़की, आईआईटी खड़गपुर, एनआईटी पटना और एसपीए भोपाल आदि द्वारा अनुसंधान अध्ययन किये जा रहे हैं ।
- कार्यशालाओं और डिजाइन प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है ।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में 6 क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं ।

संस्थानीकरण

- के.लो.नि.वि. द्वारा तीन नई प्रौद्योगिकियों के लिए दर अनुसूचियां (एसओआर) (इनपुट–एचपीएल) ।
- बीआईएस में संशोधित एनबीसी में नई निर्माण प्रौद्योगिकियों के लिए कोड शामिल किये गए ।
- शहरी विकास मंत्रालय निर्देशिका–के.लो.नि.वि., दि.वि.प्रा. और एनबीसीसी महानगरों में 100 करोड़ रूपए अथवा इससे अधिक की परियोजनाओं में चिन्हित 3 नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना ।
- शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आदर्श भवन उप–नियम; राज्य उप–नियम, एसओआर राज्य नीतियों में अभिनव प्रौद्योगिकियों आदि के प्रयोग पर जोर देना ।

चन्द्रशेखरपुरम, भुवनेश्वर, ओडिसा में विस्तारित पोलिस्ट्रीन मुख्य पेनल सिस्टम (ईपीएस) प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए बीएमटीपीसी द्वारा निर्माण की जा रही प्रदर्शन आवास परियोजना

कार्यान्वयन

- गुजरात (34,482 आवास)
- छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र (6,750 आवास)
- झारखंड (10,000 आवास)
- तमिलनाडु में पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत 20,000 आवासों में सौर पैनल ।

उभर रही प्रौद्योगिकियां

अब तक, बीएमटीपीसी द्वारा पीएमएवाई (यू) में अपनाने के लिए निम्नलिखित 16 नई उभर रही निर्माण प्रौद्योगिकियों की पहचान की गई है :–

1. एल्युमिनियम और प्लास्टिक, एल्युमिनियम फॉर्मवर्क का प्रयोग करते हुए मोनोलिथिक कंक्रीट निर्माण प्रणाली ।
2. माडुलर टनल फॉर्म ।
3. भूकम्पीय भवन प्रौद्योगिकी ।
4. उन्नत भवन प्रणाली – ईएमएमईडीयूई
5. रैपिड पैनल ।
6. सुदृढ़ ईपीएस कोर पैनल सिस्टम ।
7. क्विक बिल्ड 3 डी पैनल ।
8. कंक्रीवाल पैनल सिस्टम ।
9. ग्लास फाइबर सुदृढ़ जिप्सम (जीएफआरजी) पैनल सिस्टम।
10. लाइट गेज स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर (एलजीएसएफएस) ।
11. इनफिल कंक्रीट पैनलों के साथ लाइट गेज स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर(एलजीएसएफएस– आईसीपी) ।
12. फैक्टरी निर्मित फास्ट ट्रैक बिल्डिंग सिस्टम ।
13. स्पीड फ्लोर सिस्टम ।
14. वैफल–क्रीट बिल्डिंग सिस्टम ।
15. प्रीकास्ट लार्ज कंक्रीट पैनल सिस्टम ।
16. सेलुलर लाइट वेट कंक्रीट स्लैब तथा प्रीकास्ट कालमों का प्रयोग करते हुए औद्योगीकृत 3–एस सिस्टम ।

नैल्लोर, आन्ध्रप्रदेश में ग्लास फाइबर सुदृढ़ जिप्सम (जीएफआरजी) पेनल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए बीएमटीपीसी द्वारा निर्मित पूर्ण प्रदर्शन आवास परियोजना

राज्यों के सुग्राहीकरण के लिए कोच्चि, केरल में पीएमएवाई (यू) पर कार्यशाला

कुदंबश्री, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) ने आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के सहयोग से कोच्चि में 5 और 6 जनवरी, 2017 को एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया । कार्यशाला का उद्देश्य प्रगति की समीक्षा करना और परियोजना को तैयार करने और कार्यान्वयन के दौरान सामने आई विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा करना और राष्ट्रीय स्तर के दृष्टिकोण और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना था ।

कार्यशाला में शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और आयुक्तों ने भाग लिया । इसमें पीएमएवाई (यू) के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया था और विशेष जोर कार्यान्वयन कार्यनीति और सबके लिए आवास कार्य योजना (एचएफएपीओए) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने पर दिया गया है । मंत्रालय के अधिकारियों ने पीएमएवाई (यू) पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को साझा किया ।

दूसरे दिन, राष्ट्रीय आवास बैंक ने पहले सत्र का आयोजन ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम की समीक्षा और परिप्रेक्ष्य, एसएलएनए और यूएलबी की भूमिका, अन्य राज्यों से सीएलएसएस की जानकारी आदि पर किया गया । इसके पश्चात्, हूपा मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा डीपीआर/एआईपी की तैयारी संबंधी सत्र का आयोजन किया गया । राज्य स्तर पर स्कीम के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों संबंधी चर्चा की अध्यक्षता उप–सचिव श्री एस.सी. जाना ने की । मंत्रालय के दल ने कोच्चि नगर निगम में थुरूथी कॉलोनी में राजीव आवास परियोजना स्थल का दौरा किया । दल ने राज्य में पीएमएवाई परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर संतोष प्रकट किया ।

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (आरईआरए) पर कार्यशाला और परामर्श

"भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016" के कार्यान्वयन पर राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के साथ बैठक

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (जिसे अधिनियम कहा जायेगा) के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 17 जनवरी, 2017 को नई दिल्ली में एक परस्पर परामर्शी बैठक का आयोजन किया गया । माननीय आवास और शहरी गरीबी उपशमन, शहरी विकास तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्री एम.वेंकैया नायडु तथा माननीय शहरी विकास एवं आवास और शहरी गरीबी उपशमन और (स्वतंत्र प्रभार) योजना राज्य मंत्री, राव इंद्रजीत सिंह ने इस बैठक की शोभा बढ़ायी।

डा. नंदिता चटर्जी, सचिव (हूपा) और श्री राजीव रंजन मिश्रा, संयुक्त सचिव (आवास), हूपा मंत्रालय ने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बैठक का संचालन किया । मंत्रालय के अधिकारियों ने राज्यों की अधिकतर समस्याओं को स्पष्ट किया और राज्यों की सहायता के लिए एक कॉमन आईटी मंच के बारे में सुझावों को नोट किया ।

सचिव (हूपा) ने राज्य सरकार के उत्तरदायित्वों की रूपरेखा प्रस्तुत की और उनसे अनुरोध किया कि वे नियमों को शीघ्रता से अधिसूचित करें और विनियामक प्राधिकरण और अपीलीय अधिकरण स्थापित करें क्योंकि इस अधिनियम का कार्यान्वयन समयबद्ध ढंग से किया जाना था । उन्होंने राज्यों को चेताया कि राज्यों द्वारा सांविधिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में विलंब से एक रिक्तता उत्पन्न हो सकती है ।

23 मार्च, 2017 को नई दिल्ली में भू–संपदा क्षेत्र पर हितधारकों के साथ गोल मेज विचार–विमर्श

उद्योग संघों और अन्य हितधारकों के साथ 23 मार्च, 2017 को इंडिया हैबिटैट सेंटर, नई दिल्ली में आवास/भू–संपदा क्षेत्र के लिए बजट (2017–18) में की गई घोषणाओं के संबंध में गोल मेज विचार–विमर्श का आयोजन किया गया । इस विचार–विमर्श सम्मेलन की अध्यक्षता सचिव (हूपा) ने की थी । एनएआरईडीसीओ, सीआरईडीएआई, एसोचेम, सीआईआई, पीएचडी चैंबर और एफआईसीसीआई ने भू–संपदा उद्योग का प्रतिनिधित्व किया । अन्य हितधारकों में एसबीआई, एचडीएफसी, एसईडब्ल्यूए, आरआईसीएस, मैजिक ब्रिक्स, डिललोइट्टे, एनएचबी, हडको, बीएमटीपीसी और सीजीईडब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि शामिल थे ।

सचिव (हूपा) ने विशेषकर किये गए अनेकों सुधारों के प्रकाश में भू–संपदा क्षेत्र के विकास की क्षमता का उल्लेख किया । दिशानिर्देशों का ब्यौरा देते समय, सचिव (हूपा) ने हाल ही में घोषित एमआईजी हेतु सीएलएसएस के साथ–साथ ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए संशोधित सीएलएसएस में सभी हितधारकों को सक्रिय रूप से भाग लेने पर बल दिया। दोनों स्कीमें अभूतपूर्व अवसर प्रदान करती हैं और वर्तमान नीति/विधायी ढांचे का पूरा लाभ उठाने के लिए विकासकों से आग्रह किया ।

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 और प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यान्वयन के बारे में पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ क्षेत्रीय परामर्श

पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों (अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल) के साथ भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यान्वयन के बारे में 27 मार्च, 2017 को गुवाहाटी, असम में एक क्षेत्रीय परामर्शी बैठक आयोजित की गई थी।

डॉ नंदिता चटर्जी, सचिव (हूपा) और श्री राजीव रंजन मिश्रा, संयुक्त सचिव (आवास), हूपा मंत्रालय ने राज्यों के साथ इस अधिनियम और पीएमएवाई (यू) मिशन के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में बैठक का संचालन किया।

अपर मुख्य सचिव, असम सरकार ने सचिव (हूपा), संयुक्त सचिव (आवास), हूपा मंत्रालय, आयुक्त और सचिव, ओडिशा सरकार और पूर्व तथा पूर्वोत्तर राज्यों से अन्य अधिकारियों/सहभागियों का स्वागत किया। उन्होंने क्षेत्रीय परामर्शी बैठक के लिए गुवाहाटी का चयन करने के लिए सचिव (हूपा मंत्रालय) का धन्यवाद किया। उन्होंने सूचित किया कि असम सरकार नियमों को अधिसूचित करेगी तथा अप्रैल, 2017 के अंत तक राज्य में भू–संपदा अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विनियामक प्राधिकरण और अपील अधिकरण स्थापित करेगी।

यह बैठक सचिव (हूपा मंत्रालय) के द्वारा उद्घाटन भाषण से शुरू हुई जिसमें उन्होंने इस अधिनियम के अंतर्गत 'समुचित सरकार' के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों का संक्षेप में उल्लेख दिया । संयुक्त सचिव (आवास), हूपा मंत्रालय ने इस अधिनियम के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया और इसके मुख्य उपबंधों और मंत्रालय द्वारा विधानसभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए तैयार किए गए नियमों (सामान्य नियमों और विक्रय नियमों हेतु करार) के मुख्य उपबंधों पर प्रकाश डाला।

प्रस्तुतीकरण के दौरान, राज्यों ने अधिनियम के उपबंधों और नियमों आदि के बारे में स्पष्टीकण मांगा जिनको सचिव (हुपा), संयुक्त सचिव (आवास), हूपा मंत्रालय और कानूनी सलाहकार (हूपा मंत्रालय) द्वारा स्पष्ट किया गया ।

इस अधिनियम के विस्तृत प्रस्तुतीकरण के बाद एक जानकारी सत्र

का आयोजन हुआ जिसमें राज्यों ने इस अधिनियम और पीएमएवाई (यू) मिशन के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में मौजूदा स्थिति का आदान–प्रदान किया।

सचिव (हुपा) ने इस बैठक को राज्यों से यह आग्रह करते हुए समाप्त किया कि वे इस अधिनियम का समय पर कार्यान्वयन करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें तथा मंत्रालय को इसके बारे में अवगत कराते रहें। उन्होंने राज्यों से यह भी अनुरोध किया कि वे सबके लिए आवास के विजन को प्राप्त करने के लिए पीएमएवाई (यू) मिशन के कार्यान्वयन हेतु क्रियात्मक कदम उठाएं।

अपर मुख्य सचिव, असम सरकार ने हूपा मंत्रालय के अधिकारियों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का इस परामर्शी बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद करते हुए इस बैठक को समाप्त किया।

68वें गणतंत्र दिवस, 2017 में हूपा मंत्रालय की झांकी

68वें गणतंत्र दिवस, 2017 के अवसर पर आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय और राष्ट्रीय आवास बैंक की झांकी में राष्ट्रीय मिशन ''प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)'' के विजन और भाव को दर्शाया गया । इस झांकी में इस मिशन के अंतर्गत स्वीकृत आवास ऋण का लाभ उठाने के लिए लोगों का बैंक/आवास वित्त कंपनी में जाने की क्रिया को चित्रित किया गया। इस झांकी में राष्ट्रीय आवास बैंक को लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी जारी करने में सहायता देते हुए दर्शाया गया। इस झांकी पर निर्माणाधीन एक आवास, एक नये निर्मित बहु–मंजिला भवन और अंत में एक संतुष्ट परिवार को अपने आवास होने के सपने को पूरा होते देखकर खुश होते हुए दर्शाया गया ।

सफलता के वृतांत

जयंती जे.सुधाकर की पत्नी हैं जो मछुआरा समुदाय से संबंधित हैं और वह एक बालिका के साथ एक कक्ष वाले घर में रह रही हैं । उसका पति चेन्नई में आंतरिक डिजाइन के क्षेत्र में एक बढ़ई है। उन्होंने प्राकृतिक आपदा के कारण काफी तबाही का सामना किया क्योंकि उनका घर समुद्र के बहुत पास था। अपना आवास होने का उनका सपना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–सबके लिए आवास मिशन के माध्यम से वास्तविकता में बदल गया। सभी बहुत खुश हुए, उसने कहा–''हां हमने अपना घर बना लिया है और मेरे पति ने जोशों–खरोश के साथ इसे तैयार किया। अब हमारे पास अलग से एक शयन कक्ष, रसोईघर और शौचालय है।

चम्बाबेन केशव लाल मरूदा और उसका परिवार अहमदाबाद में 10 वर्षों से स्लम में रह रहा था। चम्पाबेन 7500/– रूपए की पेंशन प्राप्त करती हैं। वह यह पेंशन अपने पति की मृत्यु के पश्चात प्राप्त करने की हकदार हैं जो रेलवे में काम करते थे। उसका बेटा विजय अहमदाबाद नगर निगम में संविदा आधार पर एक सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता है तथा वह अपने परिवार की सहायता करने के लिए नियमित कार्य समय के पश्चात एक रिक्शा भी चलाता है। वित्तीय संस्था की सहायता से, उन्होंने गुजरात में उमंग वत्वा, एक किफायती आवास परियोजना में एक घर खरीदा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की सीएलएसएस स्कीम के अंतर्गत एक सब्सिडी के रूप में 2,15,923/– रूपए की धनराशि प्राप्त थी ।

संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (सबके लिए आवास)
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार
कमरा सं0–116, जी विंग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110011

दूरभाष: 011–23061419; फैक्स: 011–23061420
ई–मेल : jshfa-mhupa@gov.in
वेबसाईट : http://mhupa.gov.in
Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, Government of India
twitter.com/mohupa